न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगबास जिला (अलवर)

अध्याशितः– श्री ओमप्रकाश सहारण आर0ए0एस

दावा सं0	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
194/21	10.12.21	30-3-22

1. शिवलाल उम्र करीब ... साल पुत्र श्री मुखराम जाति अहीर निवासी फतियाबाद तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0।

:–वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) किशनगढबास जिला अलवर ।

:–प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955

उपस्थितिः– श्री सूरजमान भण्डाना वकील प्रार्थी की ओर से।

निर्णय

दावे पत्र के सुक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से हैः–

वकील वादी ने वाद पेश कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा सं0 271 रकबा 0.4500 हे0 वाके ग्राम फतियाबाद तहसील किशनगढबास स्थित है। जिसका 4/10 भाग प्रस्तुत वाद में विवादित आराजी कहलावेगी ।

यह है कि आराजी ख0 नं0 271 रकबा 1–16 बिस्वा (0.4500हे0) वाके ग्राम फतियाबाद तहसील किशनगढबास जिला अलवर का 1/2 भाग तत्कालीन खातेदार कुडिया, बाबूलाल पुत्रान गनेशाराम जाति अहीर निवासी ढाणी फतियाबाद तहसील किशनगढबास की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी, जो आराजी मिन वादी व मिन वादी के भाई ओमकार, श्रीराम, महेन्द्र व महीपाल द्वारा जरिये रजि0 बयनामा दिनांक 22.7.1987 को खरीद की हुई है जो बयनामा दिनांक 22.7.1987 को पुस्तक सं0 1 जिल्द संख्या 188 पृष्ठ संख्या 29–30 पर पंजिबद्ध हुआ है जिस बयनामा में मिन वादी का नाम श्रीलाल दर्ज है । वास्ते मुलाहिजा नकल बयनामा संलग्न है ।

यह है कि उसी प्रकार आराजी ख0 नं0 271 रकबा 1–16 बिस्वा (0.4500हे0) वाके ग्राम फतियाबाद तहसील किशनगढबास जिला अलवर का 1/2 भाग तत्कालीन

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

Scanned with OKEN Scanner

.दार मातादीन पुत्र बुद्धा जाति अहीर निवासी फतियाबाद तहसील किशनगढबास की ब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी, जो आराजी मिन वादी व मिन वादी के भाई ओमकार, श्रीराम, महेन्द्र व महीपाल द्वारा जरिये रजि0 बयनामा दिनांक 27.7.1987 को खरीद की हुई है जो बयनामा दिनांक 27.7.1987 को पुस्तक सं0 1 जिल्द संख्या 188 पृष्ठ संख्या 175–76 पर पंजिबद्ध हुआ है जिस बयनामा में मिन वादी का नाम शिवलाल दर्ज है । वास्ते मुलाहिजा नकल बयनामा संलग्न है ।

यह है कि दोनो बयनामा के आधार पर मिन वादी 1/10–1/10 भाग का खरीददार काबिज काश्त खातेदार है।लेकिन सहवन व भूलवश जो बयनामा कुडिया बाबूलाल पुत्रान गनेशराम से अपने हक में बयनामा पंजिबद्ध कराया गया उसमें मिन वादी का प्यार का व गांव का नाम श्रीलाल पुत्र मुखराम दर्ज कर दिया तथा दूसरा बयनामा जो मातादीन पुत्र बुद्धा से पंजिबद्ध कराया गया उसमें मिन वादी का सही नाम शिवलाल पुत्र मुखराम दर्ज है । उक्त बयनामाजात के आधार पर मिन वादी के नाम राजस्व रिकोर्ड में 1/10 भाग में श्रीलाल पुत्र मुखराम जाति अहीर दर्ज हो गया है तथा 1/10 भाग में शिवलाल पुत्र मुखराम जाति अहीर नि0 दर्ज हो गया ।

यह है कि मिन वादी वक्त खरीद से विवादित आराजी पर शान्तिपूर्वक काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है लेकिन राजस्व रिकार्ड के 1/10 भाग में मिन वादी का नाम श्रीलाल पुत्र मुखराम जाति अहीर निवासी फतियाबाद तह0 किशनगढबास दर्ज हो रहा

है ज़बकि मिन वादी का सही एवं वास्तविक नाम शिवलाल पुत्र मुखराम जाति अहीर निवासी फतियाबाद तह0 किशनगढबास जिला अलवर है । जो मिन वादी के सभी दस्तावेज पर दर्ज है। जो वाद पत्र के साथ संलग्न है ।

डिक्री इन्द्राज दुरूस्ती बहक वादी इस अमर की पारित की जावे कि आराजी खसरा सं0 हाल 271 रकबा 0.4500 हे0 वाके ग्राम फतियाबाद तहसील किशनगढबास के 1/10 भाग में श्रीलाल पुत्र मुखराम दर्ज है उसे दुरूस्त किया जाकर उसके स्थान पर शिवलाल पुत्र मुखराम जाति अहीर निवासी फतियाबाद तह0 किशनगढबास दर्ज करने कि आज्ञा सादीर प्रदान कि जाकर इन्द्राज दुरूस्ती की जावे तथा मिन वादी को दोनो हिस्सा 1/10+3/10 भाग यानि 1/10 (1/5भाग) का खातेदार दर्ज किया जावे तथा राजस्व रिकोर्ड में मिन वादी का नाम शिवलाल पुत्र मुखराम दर्ज किया जावे ।

ब– खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादी से दिलालया जावे।

स– दीगर दादरसी जो नजदीक अदालत मुनासिब हो बहक वादी बख्सी जावे।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

Scanned with OKEN Scanner

.वा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया । प्रतिवादी ना तो जवाब पेश किया ओर ना ही उपस्थिति हुए।

वकील वादी ने वाद में सीधे ही बहस करने का निवेदन किया वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए बताया कि दावा वादी डिक्री किया जाकर वादी के नाम की दुरूस्ती की जावे।

वकील वादी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली मे सलग्न दस्तावेजात बयनाम दिनांक 22.7.87 में श्रीलाल दर्ज है। तथा बयनामा 27.7.87 में वादी का सही नाम शिवलाल दर्ज है। आधारा कार्ड, पहचान पत्र, तथा भूतपूर्व सैनिक कार्ड में भी प्रार्थी का नाम शिवलाल दर्ज रिकार्ड है। तथा सरपंच ग्राम पंचायत माछरोली ने भी श्रीलाल एवं शिवलाल पुत्र मंगतुराम एक ही व्यक्ति के नाम होना बताया है। लेकिन हाल जमाबंदी के खाता सं0 31 में काश्तकार का नाम के सम्मुख कम सं0 4 में श्रीलाल पुत्र मुखराम है, तथा कम सं0 5 पर शिवलाल पुत्र मुखराम दर्ज है। जिससे साबित होता है कि श्रीलाल व शिवलाल एक ही व्यक्ति का नाम है। जिससे राजस्व रिकार्ड में शुद्व किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि:—

वाद वादी विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किया जाकर आदेश दिये जाते है कि आराजी ख0न0 271 रकबा 0.4500 हे0 वाके ग्राम फतियाबाद तहसील किशनगढबास के 1/10 भाग में मिन वादी का नाम श्रीलाल पुत्र मुखराम दर्ज है उसके स्थान पर शिवलाल पुत्र मुखराम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनानुसार ही राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जावे। पर्चा डिक्री जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो।

(ओम प्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगबास जिला (अलवर)

अध्याशितः— श्री ओमप्रकाश सहारण आर0ए0एस

दावा सं0	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
194/21	10.12.21	30.3.22

1. शिवलाल उम्र करीब ... साल पुत्र श्री मुखराम जाति अहीर निवासी फतियाबाद तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0।

:—वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) किशनगढबास जिला अलवर ।

:—प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955

उपस्थितिः— श्री सूरजभान भण्डाना वकील प्रार्थी की ओर से।

पर्चा डिक्री

वाद वादी विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किया जाकर आदेश दिये जाते है कि आराजी ख0न0 271 रकबा 0.4500 हे0 वाके ग्राम फतियाबाद तहसील किशनगढबास के 1/10 भाग में मिन वादी का नाम श्रीलाल पुत्र मुखराम दर्ज है उसके स्थान पर शिवलाल पुत्र मुखराम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनानुसार ही राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जावे। । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो।

(ओम प्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

Scanned with OKEN Scanner